लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3707
उत्तर देने की तारीख : 21.12.2021

मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में शिकायत निवारण तन्त्र

3707. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास करने वाले छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;
(ख) किन राज्यों के पास ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है; और
(ग) सभी राज्यों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत रूप देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है और यदि हां, तो इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के संबंध में राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। लक्षित समूह की सहायता और सहयोग के लिए मुद्दों को त्वरित तरीके से निपटाने के लिए स्कीमों के दिशा-निर्देशों में शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता अनिवार्य है। यह विभाग राज्यों में उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा नहीं रखता है।

केंद्रीय स्तर पर भी, सभी स्कीमों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र पहले से ही केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मौजूद है, जिसमें नागरिकों के लिए सेवा सुपुर्दगी से संबंधित किसी भी विषय पर सरकारी प्राधिकारियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।

*****